

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2685
07.08.2024 को उत्तर देने के लिए

दमन और दीव में पीडब्ल्यूडी, ओआईडीसी के माध्यम से निष्पादित सिविल कार्यों के आंकड़े

2685. श्री उमेषभाई बाबूभाई पटेल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास 01.04.2016 से 31.05.2024 तक की अवधि के लिए संघ राज्यक्षेत्र दमन और दीव के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी, ओआईडीसी, जिला पंचायत और स्थानीय स्वशासी निकायों के माध्यम से निष्पादित/कार्यान्वित दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के सिविल कार्यों का कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो कार्यों का नाम, अनुमानित लागत, निविदा कार्य, कार्य आरंभ करने और पूरा होने की बिल राशि आदि सहित सारणीबद्ध प्रारूप में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन सिविल कार्यों के संचालन और प्रबंधन को किसी निजी एजेंसी को आउटसोर्स किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इन सिविल कार्यों के लिए अवसंरचना के संचालन और प्रबंधन के लिए नियुक्त सभी ऐसी निजी एजेंसियों का एजेंसी का नाम, अनुबंध की कुल अवधि, सरकार को भुगतान किया जाने वाला कुल राजस्व और निविदा आदि के पूरे ब्यौरे सहित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 01.04.2024 से अब तक निजी एजेंसियों के साथ हस्ताक्षरित अनुबंधों की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) एमपीलैड योजना के अंतर्गत, माननीय सांसद विकासात्मक कार्यों की अपनी संस्तुतियां जिला प्राधिकारियों को प्रत्यक्ष रूप से भेजते हैं और इन्हें जिला प्राधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार लागू किया जाता है।

संघ राज्य क्षेत्र दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, एमपीलैड योजना के अंतर्गत दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.05.2024 तक की अवधि के दौरान पीडब्ल्यूडी, ओआईडीसी के माध्यम से दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का कोई भी सिविल कार्य नहीं कराया गया है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।
